(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 81/2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री रिषभ जैन जाति महाजन निवासी इन्द्रा मार्केट, अशोक क्लॉथ एम्पोरियम के सामने, बारां जिला बारॉ(विक्रेता) मैसर्स बारां सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0, पुरानी सिविल लाईन, डॉ. सेठी जी के मकान के पास, बारां जिला बारॉ
2. मैसर्स बारां सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0, पुरानी सिविल लाईन, डॉ. सेठी जी के मकान के पास, बारां जिला बारॉ
3. श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी श्री जी चौक, वार्ड नं. 23, बारां जिला बारॉ मैसर्स श्री श्याम ट्रेडर्स, प्रताप चौक, बारां जिला बारॉ
4. मैसर्स श्री श्याम ट्रेडर्स, प्रताप चौक, बारां जिला बारॉ
5. श्री अभिन तलेरा पुत्र श्री अनिल कुमार तलेरा निवासी तलेरा भवन, नई आबादी मउ नीमच रोड, मंदसौर मध्यप्रदेश–458001 मै0 तलेरा ऑवरसीज, 38–इण्डस्ट्रियल एरिया, मंदसौर मध्यप्रदेश– 458001
6. मैसर्स तलेरा ऑवरसीज, 38–इण्डस्ट्रियल एरिया, मंदसौर मध्यप्रदेश– 458001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 5 व 6)

निर्णय दिनांक 08.12.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2023 को मै.बारां सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0, पुरानी सिविल लाईन, डॉ. सेठी जी के मकान के पास, बारां जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री रिषभ जैन(विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 06 पैकेट रेक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री रिषभ जैन(विक्रेता) को 480/—रूपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच. —1651 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.—1651 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री रिषभ जैन(विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/68 दिनांक 13.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 82/PHL/kota/Act/2023/82 दिनांक 09.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिनकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को रूक—रूककर तीन बार आवाज दिलवाई गई। उसके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** जरिये बिल अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 3 व 4 से क्रय किया गया एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा अप्रार्थी क्रम 5 व 6 से क्रय किया गया है जिसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। प्रकरण लेबोरेट्री की रिपोर्ट के अनुसार **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया जिसमें समस्त जिम्मेदारी कंपनी की है। अतः अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(सभ्य) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 82/PHL/kota/Act/2023/82 दिनांक 09.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 व 06 को कुल जुर्माना राशि 65,000/– रूपये(अक्षरे पैंसठ हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 05 व 06 के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी उनको रजिस्टर्ड डाक से पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक **08.12.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:20 IST
Reason: SelfAttested